संख्या–175/XV–1/1(46)/2007

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2008

विषयः– **सूकर प्रक्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1182/नि0/सूकर प्रक्षेत्र/2007–08 दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आयोजनागत पक्ष के अर्न्तगत चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में सूकर प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण योजनार्न्तगत गठित प्रारम्भिक आगणन रुपया 26.00 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित औचित्यपूर्ण धनराशि **रुपया 22.24 लाख (रुपया बाईस लाख चौबीस हजार मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर प्रादिष्ठ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(2) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप ही कार्य किया जाये।

(8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है.उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(10) जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(11) स्वीकृत निर्माण कार्यो को तत्काल प्रारम्भ किया जाय ताकि आगणनों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे, निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणामस्वरुप लागत में वृद्वि होती है, तो शासन स्तर से आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रुप से शासन को उपलब्ध करायी जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय–102–सूकर विकास–00–आयोजनागत–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0202–सूकर प्रजनन इकाई पशुलोक का सुदृढ़ीकरण–24–वृहद निर्माण के अर्न्तगत वहन किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 492(P)/XXVII/2008 दिनांक 20 मार्च, 2008 के कम में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 175 (1)/XV–1/2007–तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, पशुलोक, ऋषिकेश, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
10. वित्त, अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
11. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र सिन्हा)

सचिव।